न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/102/2025
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2025/255
प्रवेश तिथि :: 26.06.2025

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री हैदर अली पुत्र श्री इसराईल, नि. 36, सेंट एन्सलम स्कूल के पीछे, मुंगस्का, अलवर–301001		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर (राज.)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 19.08.2025

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक: 11.04.2025 प्रस्तुत कर "दिनांक: 24.10.2024 को मेरे अधिवक्ता द्वारा मेरे जर्रे से सत्येम शेखर एण्ड एसोसिएट्स द्वारा दिए गए लीगल नोटिस पर विभाग द्वारा अभी तक जो भी कार्यवाही की गई है" से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील, इस न्यायालय में संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ और ना ही कोई विभागीय पैरवी हेतु ही उपस्थित हुआ।
7. अतः उक्त आलोक में **अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित की जाती है, वांछित सूचना नियमानुसार व अभिलेखानुसार, निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अपील प्रकरणों में समय पर जवाब प्रेषित किए जाने व विभागीय पैरवी की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 19.08.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)